प्रेषक

डा0 रामचन्द्र शुक्ल,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 18 नवम्बर, 2019**

विषय:- नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ऑयलसीड्स) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्य सेक्टर में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-ति./296/लेखा-1/2019-20, दिनांक 30.09.2019 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (ऑयलसीड्स) योजना के अन्तर्गत **रू0-30.50 लाख (रू0 तीस लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि रु0 लाख में

क्र.सं.	अनुदान संख्या	सेक्टर	लेखाशीर्षक	मानक मद	बजट प्राविधान	स्वीकृति धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुदान सं0-11	राज्य सेक्टर	2401-फसल कृषि कर्म-114-तिलहन विकास -01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101- नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (आयल सीड्स/टी0बी0ओ0)	04-यात्रा भत्ता	12.00	4.00
				08- कार्यालय व्यय	20.00	6.00
				11- लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	6.00	3.00
				12- कार्या0 फर्नीचर एवं उपकरण	4.00	2.00
				13- टेलीफोन पर व्यय	1.00	0.30
				15- मोटर गाड़ी अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	10.00	2.20
				42- अन्य व्यय	75.00	10.00
				47-कम्प्यूट अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	6.00	2.00
				58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए भुगतान	6.00	1.00
			योग-		140.00	30.50

(रू0 तीस लाख पचास हजार मात्र)

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा तथा पूर्व में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जाएगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा प्रस्ताव में उल्लिखित आकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने तथा प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जाएगा।

3. स्वीकृत धनराशि जनपदों की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन करते हुए बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत नियमानुसार व्यय की जाएगी। साथ ही स्वीकृतियों को कृषि निदेशक द्वारा आवंटित परिव्यय में समायोजित किया जाएगा और तद्नुसार यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन भी प्राप्त करना सुनिश्चित करा लिया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार व्यय करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है धनराशि व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेंन्सियल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5. प्रमुख सचिव, राज्य योजना आयोग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं.-9/1/35-आ-2/2014-33 दिनांक 09.12.2015 द्वारा नेशनल मिशन आन आयल सीड्स एण्ड आयल पाम योजना को जिला योजना में सम्मिलित करते हुए जनपदवार परिव्यय निर्धारित किया गया तथा राज्य योजना आयोग-2 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुमोदित जिला योजनाओं के आधार पर निर्धारित जनपदवार/योजनावार परिव्यय के निर्धारण के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0-अ.शा.प.सं.-9/4/35-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

आ-2/2017-27, दिनांक 31.10.2018 तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी.-1-746/दस- 2016-231/2016 दिनां0क 22.03.2016 के प्रस्तर-5 में यह निर्देश दिया गया है कि जिला योजनाओं की स्वीकृतियां सीधे जिला स्तरीय अधिकारियों को जारी की जाएं तथा उनकी प्रतियां संबंधित जिलाधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को भी पृष्ठांकित की जाए। इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अत: उपरोक्त योजना हेतु संलग्न जनपदवार विवरण के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति अपने स्तर से निर्गत करने का कष्ट करें। जनपद स्तर पर निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के आदेश की प्रति नियोजन विभाग, वित्त विभाग, प्रशासकीय विभाग तथा विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जाय।

7. उक्त धनराशि का उपयोग नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजना (ऑयलसीड्स)/नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पॉम योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन एवं अन्य संगत नियमों /भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

8. योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर त्रैमासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति सहित शासन/भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक द्वारा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृति/द्विरावृति न हो।

9. स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (standards of financial propriety) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

10. वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थियों के खाते में सीधे credit किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

11. उपरोक्त धनराशि व्यय करते समय भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पूर्णरूपेण पालन सुनिश्चित किया जाय, जो मद भारत सरकार द्वारा अनुमोदित न हो, उस पर किसी भी दशा में व्यय न किया जाय तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्वीकृत धनराशि के उपयोग की मासिक भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार/शासन को उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित करेंगे एवं कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा जारी कार्ययोजना में उल्लिखित मदों हेतु निर्धारित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

12- स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ/समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा तथा उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही किया जायेगा।

13- जनपदवार/योजनावार परिव्यय की फांट के आधार पर योजनाओं के कार्यान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगा। जिला योजनाओं में अपरिहार्य संशोधन के उपरान्त निर्धारित योजनावार परिव्यय पर जनपद स्तर पर जिला योजना समिति से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

14- जिन योजनाओं में बजट प्राविधान से कम परिव्यय जिला योजनाओं के आधार पर उभर कर आया है, वहॉ उपलब्ध परिव्यय की सीमा तक व्यय किया जाए और शेष बजट प्राविधान की सीमा तक जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी (जो जिला योजना समिति का पदेन संयुक्त सचिव हैं) द्वारा जिला योजना समिति से पुनर्विनियोग के माध्यम से परिव्यय उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

15- जिन योजनाओं में बजट से अधिक परिव्यय उभर कर आया है, उनमें बजट प्राविधान की सीमा तक परिव्यय का उपयोग किया जायेगा और आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृतियां जारी किये जाने के विकल्प पर विचार करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

16- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017- 231/2017, दिनांक 02.01.2017 एवं 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018, यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-03/2018/बी-1-438 /दस-2018-231/ 2018, दिनांक 24.04.2018 तथा 01/2019/बी-1-170 /दस-2019-231 /2019, दिनांक 22.03.2019 तथा संगत शासनादेशों/आदेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए स्वीकृत धनराशि का व्यय किया जायेगा।

17. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017- 231/2017, दिनांक 02.01.2017 एवं 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018, यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-03/2018/बी-1-438 /दस-2018-231/ 2018, दिनांक 24.04.2018 तथा 01/2019/बी-1-170 /दस-2019-231 /2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रामचन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-42/2019/1381(3)/12-3-2019-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सचिव,भारत सरकार,कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग)कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. कृषि निदेशक,कृषि भवन,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. संबंधित जिला कृषि अधिकारी द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. संबंधित संयुक्त निदेशक (प्रसार) नियोजन,दलहन मक्का कृषि भवन, लखनऊं।
9. अपर कृषि निदेशक (तिलहन) उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
10. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-2/वित्त (ई)-1/कृषि अनुभाग-5,उत्तर प्रदेश शासन।
11. शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 रामचन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है